

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक /स्था-1/2020


दिनांक /- /2020

आदेश

विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय -8 के नियम 38.2 के अनुसार एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 4001/स्था.-1/बोर्ड/2017, दिनांक 14/11/2017 के तारतम्य में पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर के निम्नलिखित प्राध्यापकों को दिनांक 13/11/2020 से आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिये संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है-

क्र.	प्राध्यापक का नाम	विभाग का नाम
1	डॉ. मधु स्वामी, प्राध्यापक	विकृति विज्ञान विभाग (Veterinary Pathology)
2	डॉ. गिरधारी दास, प्राध्यापक	परजीवी विज्ञान विभाग (Veterinary Parasitology)
3	डॉ. सुनील नायक, प्राध्यापक	पशुपोषण विभाग (Animal Nutrition)
4	डॉ. आर.के. शर्मा, प्राध्यापक	भेषज गुण विज्ञान एवं विष विज्ञान विभाग (Veterinary Pharmacology and Toxicology)
5	डॉ. श्रीकांत जोशी, प्राध्यापक	पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग (Animal Genetics and Breeding)

कुलपति जी के आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक **2492(B)** /स्था-1/2020

दिनांक **23/11/2020**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजसचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. समस्त संचालक/प्रभारी संचालक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
5. प्रभारी अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।
6. प्रभारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
8. प्रभारी संपदा अधिकारी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. लेखानियंत्रक नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, **जबलपुर**।
11. नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. सर्व संबंधित डॉ. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, **जबलपुर**।
13. व्यक्तिगत नस्ती।


कुलसचिव